GCMS No. – 2023/10

न्यायालय सहायक कलक्टर, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– विकास पंचोली (R.A.S.)

प्रकरण संख्या –49/2023

GCMS No. –2023/103

1. अनवर हुसैन पिता मोहम्मद शफी जाति मुसलमान आयु 53 वर्ष निवासी कनेरा तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०

वादी

बनाम

1. खातुन बी पत्नि मोहम्मद शफी जाति मुसलमान आयु 69 वर्ष निवासी कनेरा तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०
2. शकिला बी पुत्री मोहम्मद शफी जाति मुसलमान आयु 60 वर्ष निवासी कनेरा तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़ राज०
3. शमीम बानो पुत्री मोहम्मद शफी जाति मुसलमान आयु 55 वर्ष निवासी कनेरा तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०
4. शहनवाज पिता मोहम्मद रफीक जाति मुसलमान आयु 37 वर्ष निवासी कनेरा तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०
5. इशाक पिता मोहम्मद रफीक जाति मुसलमान आयु 34 वर्ष निवासी कुनेरा तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०
6. महजबीन पुत्री मोहम्मद रफीक जाति मुसलमान आयु 30 वर्ष निवासी कनेरा तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०
7. मु० सीमातब्बसुम बेवा मोहम्मद रफीक जाति मुसलमान आयु 60 वर्ष निवासी कनेरा तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०
8. भूमि धारी तहसीलदार निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०

– प्रतिवादीगण

वाद तहत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितः– 1– श्री नरेन्द्र वैष्णव – अधिवक्ता वादी
2– श्री योगेन्द्र सौलंकी – अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1

दिनांक :– 21.10.2024

:: निर्णय ::

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

1. प्रकरण में संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि वादी के खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात वाकै मौजा कनेरा पटवार हल्का कनेरा तह० निम्बाहेडा के खाता संख्या 10 की आराजी नं0 3273 रकबा 0.3500 हेक्टेयर लगानी 6 रुपये 65 पैसा स्थित हैं।

2. वादग्रस्त आराजीयात वादी की स्वामित्व आधिपत्य मे चली आ रही हैं, वादग्रस्त भूमि वादी के पिता सफी मोहम्मद पिता इब्राहीम मुसलमान निवासी कनेरा के खातेदारी में 1/2 हक हिस्से अनुसार दर्ज रेकार्ड थी, और वादी के पिता शफी मोहम्मद जी की स्वअर्जित सम्पत्ति थी। वादी द्वारा अपने पिता शफी मोहम्मदजी की उनके जीवन काल में सेवा चाकरी वादी द्वारा की थी, और उक्त सेवा चाकरी से खुश होकर वादी के पिता शफी मोहम्मदजी ने अपने जीवन काल में वादग्रस्त आराजीयात [illegible] 1/2 हक हिस्से का एक वसीयत नामा दिनांक 05/04/2016 को रुबरु [illegible] निष्पादित किया गया था ओर उक्त भूमि वादी के स्वामित्व अधिपत्य में चली आ रही है, उक्त वसीयत अनुसार वादग्रस्त भूमि का एक मात्र वैध अधिकारी होकर वादग्रस्त [illegible] वादी के स्वामित्व अधिपत्य में चली आ रही हैं। वादी ने वादग्रस्त आराजीयात को वादी के पिता द्वारा वसीयत [illegible] से वादी के

सहायक कलक्टर निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.12.06 15:41:35 IST
Reason: SelfAttested

नाम खातेदारी मे घौषित कराने हेतु प्रतिवादीगण को कहा तो प्रतिवादीगण टाल चाल कर रहे है और वादी व गांव के मौतबीर व्यक्ति व रिश्तेदारो के समझाने बुणने पर भी किसी भी सूरत मे मानने को तैयार नही हैं इसलिए वादी स्व० शफी मोहम्मद जी के 1/2 हक हिस्से की दर्ज शुदा आराजी को अपने नाम घौषित करा राजस्व रेकार्ड मे दर्ज करवाने का अधिकारी हैं।

3. वादग्रस्त आराजीयात वादी की स्वामित्व आधिपत्य मे चली आ रही हैं, वादग्रस्त भूमि वादी के पिता सफी मोहम्मद पिता इब्राहीम मुसलमान निवासी कनेरा के खातेदारी में 1/2 हक हिस्से अनुसार दर्ज रेकार्ड थी। वादी द्वारा अपने पिता शफी मोहम्मदजी की उनके जीवन काल में सेवा चाकरी वादी द्वारा की थी, और उक्त सेवा चाकरी से खुश होकर वादी के पिता शफी मोहम्मदजी ने अपने जीवन काल में वादग्रस्त आराजीयात का अपने 1/2 हक हिस्से का एक वसीयत नामा दिनांक 05/04/2016 को रुबरु गवाहन निष्पादित किया गया था ओर उक्त भूमि वादी के स्वामित्व अधिपत्य में चली आ रही है। वादी ने वादग्रस्त आराजीयात को वादी के पिता द्वारा वसीयत की रुह से वादी के नाम खातेदारी मे घौषित कराने हेतु प्रतिवादीगण को कहा तो प्रतिवादीगण टाल चाल कर रहे है तथा प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि से वादी को जबरन बेदखल करने पर आमादा है तथा वादग्रस्त भूमि को येन केन प्रकारेण अपने नाम खातेदारी मे दर्ज करा वादग्रस्त भूमि को हस्तांतरण रहन बय बक्शीश के माध्यम से खुर्द बुर्द हस्तांतरीत करने पर आमादा हैं, और वादी व गांव के मौतबीर व्यक्ति व रिश्तेदारो के समझाने बुझाने पर भी किसी भी सूरत मे मानने को तैयार नही हैं, इसलिए वादी प्रतिवादीगणो के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्रचलित कराने का अधिकारी हैं।

4. वाद कारण वादी को प्रतिवादीगण के विरुद्ध दिनांक 22/03/2023 को वादग्रस्त आराजीयात वादी के नाम खातेदारी मे घौषित कराने हेतु प्रतिवादीगण को कहा तथा प्रतिवादीगण टाल चाल करने लगे व नाम पर कराने से इंकार हो गये, व खुर्द बुर्द करने की धमकीयां देने से हर रोज उत्पन्न होकर यह दावा अंदर अवधी पेश हैं। वादग्रस्त आराजीयात वाके मौजा कनेरा पटवार हल्का कनेरा तह० निम्बाहेडा में स्थित है इसलिए माननीय न्यायालय को उक्त प्रकरण की सुनवाई का श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

5. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सूचना पत्र तलब किया गया, प्रतिवादी संख्या 2 से 5 बावजुद बाद तामिल वकील मय प्रतिवादीगण अनुस्थित, इसलिए इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही का आदेश प्रदान किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 की और अधिवक्ता श्री योगेन्द्र सौलंकी ने वकालतनामा मय ईकबाली जवाबदावा पेश कर वाद वादी डिक्री किए जाने का निवेदन किया। दस्तावेजी साक्ष्य में वादी ने प्रदर्श 1 जमाबंदी संवत 2077–80, वसीयतनामा असल प्रदर्श 2 पेश किया जिसकी फोटोप्रति प्रदर्श 2A पेश कि है तथा मौखिक साक्ष्य में पीडब्लू 1 अनवर हुसैन तथा वसीयतनामे के गवाह पीडब्लू 2 अखबर खां तथा प्रतिवादी नम्बर 1 खातून के बयान कराए।

6. बहस विद्वान अधिवक्ता वादी की सुनी गई। मिसल का अवलोकन करते हुए पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। अधिवक्ता वादीगण व प्रतिवादीगण की बहस सुनी गई। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के आधारों पर प्रदर्श 1 जमाबन्दी मौजा कनेरा पटवार हल्का कनेरा [illegible] निम्बाहेडा की आराजी नं0 3273 रकबा 0.3500 हेक्टेयर स्थित भूमि में वादी के पिता [illegible] मोहम्मद पिता इब्राहिम जी के खाते की नकल में स्व0 शफी मोहम्मद का 1/2 हक हिस्से की दर्ज शुदा आराजी को स्व0 शफी मोहम्मद जी द्वारा उनके जीवनकाल में दिनांक 05.04.2016 को रूबरू गवाहन स्टाम्प खरीदकर उक्त स्टाम्प पर वादी अनवर हुसैन पिता मोहम्मद शफी जाति मुसलमान निवासी कनेरा तह० निम्बाहेडा के पक्ष में वसीयतनामा निष्पादित कराया है जिस पर एक्स स्थान पर स्व0 मो0 शफी की अंगूठा निशानी है तथा ए से बी वादी अनवर हुसैन के हस्ताक्षर है। सी से डी स्थान पर गवाह अकबर खां के हस्ताक्षर है तथा ई से एफ स्थान पर गवाह मन्जूर हुसैन के हस्ताक्षर है तथा उक्त वीसीयतनामे को प्रतिवादी क्रमांक 1

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.12.06 15:41:35 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

खातून बी जो स्व0 शफी मोहम्मद की बेवा है और डीब्लू 1 द्वारा उक्त भूमि उसके स्वर्गीय पति मो0 शफी द्वारा वादी अनवर हुसैन के पक्ष में की गई वसीयत अनुसार वादी का कब्जा होना और उक्त भूमि अनवर हुसैन के नाम दर्ज किया जाना स्वीकार किया गया इस प्रकार वादी अपने वाद को साबित कराने में पूर्णतः सफल रहा है। इसलिए मौजा कनेरा पटवार हल्का कनेरा तह० निम्बाहेडा की आराजी नं0 3273 रकबा 0.3500 हेक्टेयर स्थित भूमि में वादी के पिता स्व० शफी मोहम्मद पिता इब्राहिम जी के खाते में दर्ज शुदा भूमि वादी अनवर हुसैन पिता स्व0 शफी मोहम्मद जाति मूसलमान निवासी कनेरा के नाम घौषित कर राजस्व रेकार्ड मे दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

घोषणा है कि

वादीगण का वाद पत्र अन्तर्गत धारा–88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 पर्याप्त सबूतों के परिपेक्ष्य में स्वीकार किया जाता है तथा वादी का वाद कतई डिक्री किया जाता है। तहसीलदार निम्बाहेडा को आदेश दिया जाता है की मौजा कनेरा पटवार हल्का कनेरा तह० निम्बाहेडा के आराजी नं0 3273 रकबा 0.3500 हेक्टेयर स्थित भूमि में वादी स्व० शफी मोहम्मद पुत्र इब्राहिम जी जाति मूसलमान सा0देह खातेदार के 1/2 हक हिस्से की दर्ज शुदा आराजी को अनवर हुसैन पिता शफी मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी कनेरा तह० निम्बाहेडा के नाम राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज किए जाने एवं अमल दरामद किये जाने की घोषणा की जाती है। तहसीलदार, निम्बाहेड़ा घोषणा अनुसार वादी अनवर हुसैन पिता शफी मोहम्मद जाति मूसलमान निवासी कनेरा हिस्सा 1/2 राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करावें। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 21.10.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया

(विकास पंचोली)
सहायक कलक्टर,
निम्बाहेडा

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.12.06 15:41:35 IST
Reason: SelfAttested